



2026:AHC-LKO:13964-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 19151/2020

विनोद कुमार कश्यप

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, लखनऊ एवं अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – राकेश चन्द्र तिवारी, मिर्जा शरीक अजीज़, मो. ज़ैद खान, मोहिउद्दीन खान

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, नामित शर्मा

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार

नगर निगम, लखनऊ के विद्वान अधिवक्ता श्री नमित शर्मा उपस्थित हैं।

याचिकाकर्ता ने दिनांक 07.12.2020 के आदेश के अनुपालन में अपनी प्रामाणिकता स्थापित करने हेतु अपना शपथपत्र दायर नहीं किया है। हमें इस मामले में आगे कार्यवाही का कोई कारण नहीं दिखता।

हालाँकि, इसका अर्थ संबंधित विपक्षी दलों द्वारा किए गए किसी भी कदाचार या अपराध को क्षमा करना नहीं होगा, जिसके संबंध में कोई प्राथमिकी दायर की गई हो या अन्य कार्यवाही प्रारंभ की गई हो या किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष लंबित हो, क्योंकि हमने मात्र याचिकाकर्ता के कहने पर आगे कार्यवाही करने से इनकार किया है।

तदनुसार याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति मनीष कुमार) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

20 फरवरी, 2026

नितेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।